

## अखिल भारतीय सेवाएं (राजस्थान) पेंशनर्स एसोसिएशन, जयपुर

### पेंशनर्स / पारिवारिक पेंशनर्स के लिए उपयोगी जानकारी

सेवानिवृत्ति के समय एक अधिकारी को ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण, भविष्य निधि, समरूपित पेंशन की राशि आदि का भुगतान किया जाता है, इसके अलावा मासिक पेंशन दी जाती है। अन्य भुगतान एक बार किए जाते हैं, लेकिन पेंशन जीवनभर जारी रहती है। इसलिए पेंशन भुगतान आदेश (PPO) को सावधानी से सुरक्षित रखना आवश्यक है।

#### 1. PPO

PPO में पेंशनर का नाम, जन्म तिथि और देय पेंशन की राशि अंकित होती है। इसमें समरूपित पेंशन की राशि भी उल्लेखित होती है। इसमें पारिवारिक पेंशनर का नाम और जन्म तिथि भी होती है, जिसे पेंशनर की मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन प्राप्त होगी। अगर पेंशनर सेवानिवृत्ति के 7 साल के भीतर मर जाता है तो पारिवारिक पेंशनर को मिलने वाली राशि भी इसमें लिखी रहती है। पेंशनर को नाम या जन्म तिथि में किसी भी त्रुटि के लिए इसे तुरंत पेंशन निदेशक कार्यालय से सही करवाना चाहिए।

कुछ पुराने मामलों में पारिवारिक पेंशनर की जन्म तिथि PPO में उल्लेखित नहीं थी। ऐसे मामलों में पेंशन निदेशक ने पारिवारिक पेंशनर की जन्म तिथि को अंकित करने के लिए बैंक और ट्रेजरी को एक अलग पत्र द्वारा सूचित किया था। इस पत्र की एक प्रति पेंशनर को भी दी गई थी। पेंशनर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पारिवारिक पेंशनर की सही जन्म तिथि दर्ज की गई है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि 80 वर्ष की आयु होने पर पारिवारिक पेंशन में वृद्धि होती है।

पेंशन / पारिवारिक पेंशन के बाद के संशोधन या किसी अन्य मामले के लिए PPO को प्रस्तुत करना आवश्यक हो सकता है, और उसमें कुछ प्रमाणीकरण करने की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए PPO को सावधानी से रखना आवश्यक है। इसे लैमिनेट नहीं करना चाहिए ताकि बाद में प्रमाणीकरण किया जा सके।

PPO पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है, इसे न केवल सावधानी से रखना चाहिए बल्कि जीवनसाथी एवं परिवार के अन्य सदस्यों को भी इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए।

#### 2. सेवा अवधि के 33 वर्षों से पेंशन का पृथक्करण

भारत सरकार ने दिनांक 6/4/2016 की अधिसूचना के अनुसार पेंशन को सेवा अवधि से पृथक कर दिया है। निर्णय लिया गया है कि 2006 से पूर्व के पेंशनर्स की पुनरीक्षित समेकित पेंशन पे बैंड और ग्रेड पे के न्यूनतम 50% से कम नहीं होगी (जहां लागू हो), भले ही उनकी सेवा अवधि 33 वर्षों से कम हो।

#### 3. बैंक खाता:

(i) पेंशन प्राप्त करने के लिए अपने जीवनसाथी के साथ एक संयुक्त खाता बैंक में खोलना चाहिए। पहले केवल पेंशनर के एकल खाते की अनुमति थी, लेकिन हाल ही में जीवनसाथी के साथ संयुक्त खाता खोलने की अनुमति दी गई है। यदि किसी पेंशनर का अभी तक संयुक्त खाता नहीं है, तो उसे अपने जीवनसाथी के साथ इसे संयुक्त खाता में परिवर्तित करना चाहिए। इस खाते में एक नामांकित व्यक्ति भी जोड़ा जाना चाहिए।

(ii) प्रत्येक वर्ष नवंबर के महीने में पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर को जीवित होने का प्रमाण पत्र निदेशक पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर या सम्बन्धित ट्रेजरी को प्रस्तुत करना होता है। यह पेंशन की निरंतरता के लिए आवश्यक है।

अब डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र आधार से जुड़ा हुआ है। पेंशनर्स "जीवन प्रमाण" वेबसाइट ([jeevanpramaan.gov.in](http://jeevanpramaan.gov.in)) पर जा कर भी प्रस्तुत (अपलोड) कर सकते हैं।

(iii) सामान्यतः, पेंशनर्स के पास बैंक में एक लॉकर होता है। लॉकर खाता भी संयुक्त होना चाहिए।

#### 4. पेंशन का समरूपणःकम्यूटेशन

(i) पेंशन की 40% राशि समरूपित की जा सकती है। समरूपित पेंशन राशि एकमुश्त पेंशनर को दी जाती है। हर महीने समरूपित राशि पेंशन से काटी जाती है लेकिन महंगाई राहत पूरी पेंशन पर देय होती है। समरूपित पेंशन राशि 15 वर्षों के बाद पुनःस्थापित की जाती है।

सभी बैंक खातों को संयुक्त खाता बनाना उचित है, और जीवन साथी के अलावा पुत्र या पुत्री को भी संयुक्त खाता धारक बनाया जा सकता है। एक नामांकित व्यक्ति नियुक्त किया जाना चाहिए जो सभी संयुक्त खाता धारकों के निधन के मामले में खाते को संचालित कर सके। बैंकों के पास इसके लिए एक निर्धारित फॉर्म होता है।

(ii) समरूपित पेंशन की पुनःस्थापना: 15 वर्षों के बाद, पेंशनर को कोषाधिकारी और पेंशन निदेशक को पत्र लिखकर समरूपित राशि की पुनःस्थापना के लिए आवेदन करना चाहिए। इसके लिए एक निर्धारित फॉर्म है।

(iii) यदि पेंशनर की 15 वर्षों की अवधि के भीतर मृत्यु हो जाती है, तो समरूपित पेंशन की वसूली रोक दी जाती है और जीवनसाथी को पूरी पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया जाता है।

#### 5. पेंशन की राशि में वृद्धि:

80 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर, पेंशन में 20% की वृद्धि की जाती है। इसके बाद, 85, 90, 95, और 100 वर्ष की आयु पर यह वृद्धि क्रमशः 30%, 40%, 50% और 100% हो जाती है। बैंक और कोषागार के पास पहले से पेंशनर की जन्म तिथि उपलब्ध होती है। पेंशन में वृद्धि के लिए कोषागार में एक साधारण आवेदन किया जा सकता है। महंगाई राहत पेंशन की बढ़ी हुई राशि पर भी देय होती है।

पेंशन में वृद्धि उसी महीने से लागू होती है जिस महीने पेंशनर 80 वर्ष की आयु पूर्ण करता है।

#### 6. पेंशन की बकाया राशि:

पेंशनर की मृत्यु के समय पेंशन की कोई भी बकाया राशि उस व्यक्ति को दी जाती है जिसे इसके लिए नामांकित किया गया हो। यदि कोई नामांकन नहीं है तो यह राशि पारिवारिक पेंशनर को दी जाती है। यदि पारिवारिक पेंशनर भी नहीं है, तो इसके लिए नामांकन किया जाना चाहिए।

#### 7. आयकर:

पेंशनर्स को अपनी पेंशन पर आयकर देना पड़ता है। कोषागार पेंशन का भुगतान करते समय आयकर की कटौती करता है। पेंशनर को वर्ष की शुरुआत में अपने अनुमानित पेंशन से होने वाली आय और कटौतियों की

जानकारी निदेशक पेंशन और पेंशनर्स कल्पाण को देनी चाहिए ताकि सही राशि की कटौती की जा सके। पेंशनर अपनी अन्य स्रोतों से आय शामिल न कर केवल पेंशन पर आयकर की कटौती करवायें।

वर्तमान में पारिवारिक पेंशन पर कोई आयकर नहीं काटा जाता। पारिवारिक पेंशनर्स को अपने आप कर भुगतान करना चाहिए। वरिष्ठ नागरिकों को अग्रिम कर का भुगतान करने से छूट है, इसलिए कर की राशि रिटर्न के साथ जमा की जा सकती है।

एक नयी आयकर प्रणाली 1 अप्रैल, 2020 से लागू की गई है। पेंशनर को पुरानी कर प्रणाली के जारी रखने या नई प्रणाली में स्विच करने का विकल्प है, जो भी उसके लिए लाभकारी हो।

## 8. चिकित्सा और स्वास्थ्य (Medical & Health):

### (a) CGHS (केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना):

सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद पेंशनर को केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) का सदस्य बन जाना चाहिए, जिसके लिए एक आवेदन पत्र और शुल्क निर्धारित किया गया है। CGHS के तहत, पेंशनर के जीवनसाथी, आश्रित माता-पिता, पुत्र (जब तक वह कमाना शुरू नहीं करता या 25 वर्ष की आयु तक) और पुत्री (जब तक वह कमाना शुरू नहीं करती या विवाह नहीं कर लेती) को कवर किया जाता है।

CGHS कार्ड प्रत्येक परिवार के लाभार्थी के लिए बनाए जाते हैं और ये देश भर में कहीं भी CGHS से मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में उपयोग किए जा सकते हैं।

### (b) RGHS (राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना):

राज्य सरकार ने राजस्थान सरकारी स्वास्थ्य योजना शुरू की है, जो अखिल भारतीय सेवाओं (AIS) के पेंशनर्स पर भी लागू होती है। इसके सदस्य बनें और अपना कार्ड बनवाएं। जीवनसाथी के लिए अलग कार्ड बनवाना आवश्यक है। इस योजना में भी अब परिवार के सदस्यों को शामिल कर लिया गया है।

### (c) विशिष्ट बीमारियों के लिए सुविधा:

(i) CGHS लाभार्थियों को CGHS से मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में विशेषज्ञ से परामर्श के लिए अनुमति दी जाती है, इसके लिए CGHS वेलनेस सेंटर के किसी भी चिकित्सा अधिकारी / मुख्य चिकित्सा अधिकारी से रेफरल लेना आवश्यक है।

(ii) विशेषज्ञ द्वारा लिखी गई दवाएं CGHS वेलनेस सेंटर में उपलब्ध जेनेरिक नाम के अनुसार दी जाती हैं।

(iii) बाहरी रोगी मामलों में, दवाएं CGHS वेलनेस सेंटरों के डाक्टर अथवा सरकारी अस्पताल के विशेषज्ञों की पर्ची पर CGHS वेलनेस सेंटर से प्राप्त की जा सकती हैं।

(iv) पुरानी बीमारियों के मामलों में, एक बार में 3 महीने तक की दवाएं जारी की जा सकती हैं, और यदि लाभार्थी विदेश जा रहा हो तो एक बार में 6 महीने तक की दवाएं जारी की जा सकती हैं।

(v) 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थी सीधे CGHS या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सरकारी या निजी अस्पतालों में स्पेशलिस्ट को कन्सल्ट कर सकते हैं और जॉच और उपचार करा सकते हैं।

(vi) CGHS के तहत लाभार्थी राज्य सरकार के अस्पतालों अथवा मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में इनडोर उपचार प्राप्त कर सकते हैं। निजी अस्पताल में भर्ती के लिए CGHS डॉक्टर या राज्य सरकार के विशेषज्ञ कारेफरल आवश्यक है। हालांकि, आपातकाल की स्थिति में CGHS डॉक्टर के रेफरल के बिना भी मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल में भर्ती हो सकते हैं। भर्ती के समय CGHS कार्ड प्रस्तुत करना होता है तथा उसकी एक फोटो प्रति देनी होती है।

(vii) मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल में उपचार निःशुल्क है और अस्पताल का बिल सीधे सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है।

(viii) आपात स्थिति में गैर-मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में उपचार का खर्च CGHS निदेशक द्वारा मामले के गुणावगुण आधार पर भुगतान किया जाता है इसके लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होता है।

#### **(d) राज्य सरकार की योजना RGHS के तहत लाभ:**

(i) पेंशनर एवं उसके परिवार को राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना RGHS के तहत सरकारी और मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल में आउटडोर / इनडोर इलाज बिना भुगतान (कैशलेस) मिलता है।

(ii) राज्य सरकार के डॉक्टर की पर्ची पर मान्यता प्राप्त मेडिकल स्टोर्स से दवाएं प्राप्त की जा सकती हैं।

(iii) राज्य सरकार के डॉक्टर के रेफरल पर सरकारी अस्पतालों और स्वीकृत निजी अस्पतालों में इनडोर उपचार प्राप्त किया जा सकता है। RGHS के तहत, स्वीकृत अस्पतालों द्वारा नगद रहित उपचार प्रदान किया जाता है।

#### **(e) अन्य जानकारी:**

(i) CGHS और RGHS के तहत मान्यता प्राप्त अस्पतालों की अद्यतन सूची “संपर्क” एवं इनकी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है और समय समय पर अपडेट होती रहती है।

(ii) CGHS के तहत पेंशनर्स के लिए निर्धारित फॉर्म में व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा किया जा सकता है।

### **9. पारिवारिक पेंशन (Family Pension):**

(i) पेंशनर की मृत्यु के तुरंत बाद जीवनसाथी को निदेशक पेंशन और कोषाधिकारी पेंशन को सूचित करना चाहिए ताकि पेंशन केवल मृत्यु की तिथि तक ही दी जाए। उसके बाद, पारिवारिक पेंशन जीवनसाथी को दी जाती है।

(ii) पेंशनर की सेवानिवृत्ति के 7 वर्षों के भीतर मृत्यु होने पर, जीवनसाथी को वही पेंशन दी जाती है जो पेंशनर को मिल रही थी, और 7 वर्षों के बाद पारिवारिक पेंशन पेंशनर की पेंशन का 60% हो जाती है।

(iii) पेंशनर की मृत्यु के बाद नगर निगम/पालिका से मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए और निदेशक पेंशन जयपुर जिले के कोषाधिकारी को पारिवारिक पेंशन के लिए निर्धारित फॉर्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करना चाहिए।

(iv) पारिवारिक पेंशनर को 80, 85, 90, 95 और 100 वर्ष की आयु पर पेंशन में उसी प्रकार की वृद्धि का लाभ मिलता है जैसा कि पेंशनर के मामले में मिलता है।

(v) पारिवारिक पेंशनर को हर साल नवंबर महीने में यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है कि वह जीवित हैं और पुनर्विवाह नहीं किया है। इस प्रमाण पत्र के बिना पेंशन की निरंतरता नहीं होती।

(vi) पारिवारिक पेंशनर को भी अपनी पेंशन पर आयकर देना पड़ सकता है। हालांकि, पारिवारिक पेंशन पर फिलहाल कोई टैक्स की कटौती नहीं की जा रही है। टैक्स सलाहकार से परामर्श लेना आवश्यक हो सकता है।

(vii) पेंशनर की मृत्यु से पहले प्राप्त पेंशन पर आयकर भुगतान की जिम्मेदारी जीवनसाथी पर भी आ सकती है, इसके लिए एक टैक्स विशेषज्ञ से परामर्श किया जाना चाहिए।

(vii) स्पाउज के अतिरिक्त विशेष परिस्थितियों में परिवार के अन्य सदस्य अविवाहित पुत्र जिसकी आयु 25 वर्ष से अधिक न हो, अविवाहित/तलाकशुदा/विधवा पुत्री जो अपनी आजीविका नहीं कमाती हो, पुत्र/पुत्री जो मानसिक अथवा शारिरिक रूप से विकलांग हो एवं अपनी आजीविका नहीं कमाते हों, भी पेंशन के पात्र हैं।

---

## अन्य महत्वपूर्ण जानकारी:

पेंशनर्स / पारिवारिक पेंशनर्स इस नोट की सामग्री को अपने परिवार के सदस्यों के ध्यान में लाने पर विचार कर सकते हैं। आवश्यकता होने पर एसोसिएशन से इस संबंध में सहायता प्रदान की जा सकती है। किसी भी समस्या का सामना होने पर एसोसिएशन का कार्यालय सभी कार्य दिवसों पर खुला रहता है। सहायता के लिए, सदस्य मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच कार्यालय आ सकते हैं। एसोसिएशन का पता, ईमेल आईडी और टेलीफोन नंबर नीचे दिए गए हैं।

### पता:

कमरा नं. 02, पटेल भवन,

एचसीएम रीपा, ओटीएस,

जवाहर लाल नेहरू मार्ग,

जयपुर 302 017

ईमेल – [aisrajpen@gmail.com](mailto:aisrajpen@gmail.com)

दूरभाष :— 0141 2715249